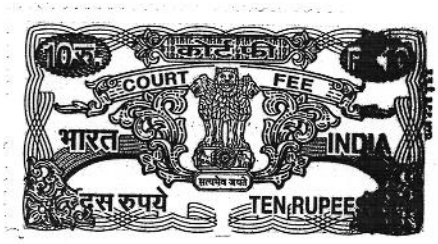

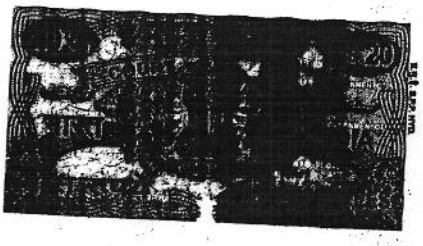

113

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. /2016 निग-1561-I-16

हेमराज वल्द मोहन कुर्मी, निवासी ग्राम बाहरपुरा, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर
----आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश राज्य ----**अनावेदक**

दिनांक 19.5.16 को श्री अमित भार्गव अभि. द्वारा प्रस्तुत 19-5-16 SD

न्यायालय अपर कलेक्टर छतरपुर, जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 104/अ19(4)/स्व.निग./05–06 में पारित आदेश दिनांक 23/02/2015 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

Advocate अमित भार्गव (अधि.) 19-5-16

माननीय महोदय,

आवेदक का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः

1. यहकि, ग्राम बाहरपुरा की भूमि सर्वे क्रमांक 22/1 रकबा 20.315 हैक्टयर में से 2 हैक्टयर पर आवेदक कृषि श्रमिक भूमिहीन व्यक्ति का सन 1984 के अनेक वर्षो पूर्व के कृषि करते हुये कब्जा चला आ रहा था।

2. यहकि, आवेदक ने उपर्युक्त भूमि पर उसे भूमि स्वामी अधिकार प्रदान किये जाने हेतु म.प्र. कृषि प्रयोजनों के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकारों का प्रदाय किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अधीन तहसीलदार, राजनगर के समक्ष आवेदन किया था।

3. यहकि, तहसीलदार महोदय द्वारा प्रकरण क्रमांक 2/अ–19/4/2003–04 में विधिवत जांच कर आवेदक को भूमि स्वामी अधिकार प्रदान की जाने के लिये पात्र पाते हुये आदेश दिनांक 12/01/2004 द्वारा भूमि स्वामी अधिकार प्रदान किये जाने का आदेश पारित किया गया।

4. यहकि, अपर कलेक्टर महोदय द्वारा प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर प्रकरण क्र. 104/अ–19(4)/स्व.नि./05–06 में आवेदक को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 23/02/2015 द्वारा

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1567-एक/2016 जिला छतरपुर हेमराज विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री अमित भार्गव एवं शासन की ओर से अभिभाषक श्री योगेश पाराशर उपस्थित । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 104/अ19(4)/स्व.निग./2005-06 में पारित आदेश दिनांक 23-02-2015 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 19-05-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

31.12.18

के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

31.12.18

(आर.के. जैन)
सदस्य